

संख्या-1021/एक-10-2024

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, मीरजापुर, गोण्डा, बहराइच, गाजीपुर, प्रयागराज, सीतापुर, जालौन, वाराणसी, श्रावस्ती, हमीरपुर, बस्ती, देवरिया, बाराबंकी, बुलन्दशहर, आजमगढ़, महाराजगंज, कुशीनगर, बिजनौर, बलिया, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, बदायूँ, अम्बेडकर नगर, संतकबीर नगर, पीलीभीत, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, हरदोई, मुरादाबाद, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर, कासगंज, जौनपुर, झांसी, ललितपुर, बांदा, आगरा, चित्रकूट, इटावा एवं भदोही।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 11 जून, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ की सम्भावना सम्भावना के दृष्टिगत प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु बाढ़ मद-मद-02 में निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 10,50,00,000/- (रुपये दस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि के बाढ़ मद-02 से कॉलम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कॉलम-3 में अंकित धनराशि अग्रिम रूप से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के नियर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1	सिद्धार्थ नगर	50.00
2	बलरामपुर	50.00
3	लखीमपुर खीरी	50.00
4	गोरखपुर	50.00
5	मीरजापुर	50.00
6	गोण्डा	50.00
7	बहराइच	50.00
8	गाजीपुर	50.00
9	प्रयागराज	50.00
10	सीतापुर	50.00
11	जालौन	25.00
12	वाराणसी	25.00

13	આવસ્તી	25.00
14	દેશીરૂપર	25.00
15	બસ્તી	25.00
16	દેવરિયા	25.00
17	બારાબંકી	25.00
18	બુલન્દશાહર	25.00
19	આમમગાંઠ	25.00
20	મહેરાજગંજ	25.00
21	કુશીનગર	10.00
22	વિજનૌર	10.00
23	બલિયા	10.00
24	અયોધ્યા	10.00
25	મઝ	10.00
26	ફરકાલાવાડ	10.00
27	બદાયૂં	10.00
28	અઝમગંજ નગર	10.00
29	સતકબૌર નગર	10.00
30	પીલીખીન	10.00
31	સદાનગર	10.00
32	શામલી	10.00
33	અલીગઢ	10.00
34	બરેલી	10.00
35	ગાંધીમથક નગર	10.00
36	રામપુર	10.00
37	દેવદોઈ	10.00
38	મુન્દાવાડ	10.00
39	ડાંગાલ	10.00
40	લખનુ	10.00
41	શાહજહાંપુર	10.00
42	કાસગંજ	10.00
43	ગાંધીપુર	10.00
44	કાંપી	10.00
45	લલિતપુર	10.00
46	બાંદા	10.00
47	આગરા	10.00
48	ચિત્રકુટ	10.00
49	ફટાલા	10.00
50	અલોહી	10.00
કુલ સીમા		1050.00

(કુલ રૂ. 1050.00 માંથી પચાસ લાખ માત્ર)

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 1050.00 लाख (₹0 दस करोड़ पचास लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ मद-02 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फंड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या:-1021(1)/एक-10-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, 30प्र0।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0।
- 6 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 8- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-18/06/2024

प्रेषण संख्या:- 1021
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1021
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1219805	1000000 1219805
2	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
3	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
4	आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
5	बरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
6	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
7	बदायूं-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
8	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
9	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
10	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
11	रामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
12	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
13	इटावा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
14	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
15	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
16	जालौन-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
17	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
18	बांदा -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
19	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
20	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
21	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
22	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5378600	5000000 5378600
23	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
24	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	42-अन्य व्यय	योग
		प्रगामी	
25	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000
26	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000
27	देवरिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000
28	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
29	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
30	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000
31	हरदोई-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
32	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000
33	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
34	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000
35	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000
36	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 3930845
37	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
38	मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
39	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000
40	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000
41	संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
42	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
43	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
44	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
45	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000
46	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
47	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000
48	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
49	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
50	शामली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	105000000 107029250

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़ पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ सत्तर लाख उन्तीस हजार दो सौ पचास

(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आगस्त्य कार्यालय
उत्तर प्रदेश